न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील सं. : 15/351

हरनाथ आत्मज श्री कंवरा जाति कुम्हार निवासी ग्राम हरणा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 08.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.04.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार, हिण्डोली जिला – बून्दी ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी अपीलान्ट को ग्राम हरणा की आराजी खसरा नं. 345 रकबा 05 बीघा भूमि राजकीय अतिक्रमण करने से अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली, लगान का 50 गुना शास्ति एवं पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने से 90 दिवस (तीन माह) के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 26.11.2014 द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत की । प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21.04.2015 के द्वारा अपील अपीलांट खारिज कर दी ।

3. उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने अपील मीमो प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी नहीं है पूर्व में कभी अपीलान्ट को बेदखल नहीं किया गया है । अपीलान्ट गरीबी की रेखा के नीचे के स्तर का काश्तकार है जो उक्त आराजी पर 30–40 वर्षो से मकान बनाकर रह रहा है । इसके अलावा उसका कोई मकान नहीं है । मकान के पास सब्जी व अन्य फसल करके परिवार का गुजारा कर रहा है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट ने तावान शुल्क राशि भी जमा करवा दी है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे ।

4. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.04.2015 को निर्णय नहीं सुनाया था इसलिए अपीलान्ट को उक्त निर्णय की समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.05.2015 को अभिभाषक द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

5. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही उक्त प्रकरण को निर्णित कर दिया जो न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है । अपीलान्ट गरीब काश्तकार है वादग्रस्त आराजी पर उसका मकान बना हुआ है जिसके नियमन की अनुशंषा ग्राम पंचायत ने की है । उक्त आराजी पर 30–40 वर्षों से मकान बने हुए हैं तथा परिवार सहित वहीं रहते हैं । अपीलान्ट के पास अन्य मकान भी नहीं हैं । इसी भूमि पर सब्जी व अन्य फसल करके परिवार का पालन पोषण करते हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.04.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी जिरह में कथन किया कि अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था । वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति आदि को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इस प्रकार अतिक्रमित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है ।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

9. वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवायचक भूमि पर जिस पर अपीलान्ट ने अतिक्रमण कर मकान, बाडा बना लिया है अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय ने में उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया है । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्य रूप से निवेदन किया है कि उक्त भूमि को अपीलान्ट के पक्ष में नियमन कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट नियमन कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कराने के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं क्यों कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है ।

10. यदि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में नियमन सम्बन्धी कोई कार्यवाही कर रखी है तो वह इस सम्बन्ध सक्षम कार्यालय/न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है । प्रस्तुत प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम से सम्बन्धित है और राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है ।

11. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपीलान्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है । अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.04.2015 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट नियमन हेतु सक्षम स्तर पर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है ।

13. निर्णय आज दिनांक 08.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/10/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा